



निदेशालय,

॥ गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ॥

फोन :- 0141-2614771, फ़ैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : cd.hghq.rj@nic.in

Website : <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक : गृरमु/2021/ 24160

दिनांक : 10-09-2021

स्थायी आदेश सं. : 07/2021

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 30 के अनुसार राजस्थान गृह रक्षा विभाग के सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों व शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) आदि के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 30 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के लिए निम्न स्थायी आदेश प्रसारित किये जाते हैं। यह आदेश भविष्य में होने वाली सभी मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) की भर्तियों पर लागू होगा। इस आदेश में उल्लेखित राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों/परिपत्रों/ नियमों में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी प्रकार के संशोधन तदानुसार भर्ती प्रक्रिया में प्रभावी होंगे।

1. रिक्तियों का निर्धारण :

भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 16 के अनुसरण में रिक्त पदों का निर्धारण करेगा।

2. रिक्तियों में आरक्षण :

राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ. 5 (24) डी.ओ.पी./ए-II/75 दिनांक: 24.06.2008 के बिन्दु संख्या-11 के अनुसार 08 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिये सीधी भर्ती में आरक्षण L-शेप मॉडल रोस्टर अनुसार होगा।

3. आयु तथा आयु में छूट :

(a) राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 17 के प्रावधान अनुसार मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) पद के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के आगामी 01 जनवरी को कम से कम 20 वर्ष एवं 40 वर्ष से अधिक न हो।

(b) अधिकतम आयु सीमा में छुट निम्नानुसार होगी:-

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/ सहरिया/ अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

(ii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भर्ती से संबंधित मानदण्ड (Norms) लागू होंगे।

4. शारीरिक मापदण्ड :

अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवम् वजन राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम-20 के तहत निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा :-

मापदण्ड	सामान्य		बारां जिले के सहरिया अभ्यर्थियों हेतु		पहाड़ी/जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.	160 से.मी.	140 से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए - 81 से.मी. फुलाने पर - 86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए - 74 से.मी. फुलाने पर - 79 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए - 79 से.मी. फुलाने पर - 84 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट : अनुसूचित जाति या यथास्थिति अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में न हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उन अभ्यर्थियों को जिनकी ऊंचाई और सीने का माप 5 से. मी. तक कम है, उन्हें (पुरुष) सीने के न्यूनतम 5 से. मी. के फुलाव के साथ शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जायेगा।

5. न्यूनतम अर्हता और अनुभव :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के Schedule-II के कम संख्या 6 के प्रावधानानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :-

पद	अर्हता और अनुभव
मुख्य आरक्षी (आर्मीरर)	थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सम्यकरूप से सेवान्मुख भूतपूर्व हवलदार या समतुल्य रैंक।

6. भर्ती का स्थान :

लिखित एवम् शारीरिक मापदण्ड परीक्षा का स्थान व परीक्षा केन्द्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार तत्समय निर्धारित किया जावेगा।



7. आवेदन प्रक्रिया :

- राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 23 की पालना में आवेदन प्रक्रिया हेतु मुख्य समाचार पत्रों एवं <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। सहरिया क्षेत्र एवं टी.एस.पी. क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रचार किया जावेगा, जिससे इस क्षेत्र के अभ्यर्थी भी समय पर आवेदन कर सकें।
- भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदन-पत्र विभाग की वेबसाइट <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर उपलब्ध होगा।
- आवेदन शुल्क नियमानुसार एवम् राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुरूप होगा।
- राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 27 के प्रावधान अनुसार अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं परीक्षा शुल्क वापिस नहीं लौटाया जावेगा।
- परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है।

8. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया :

मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) पर चयन राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 32 के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) की भर्ती हेतु परीक्षा के कुल 100 अंक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :-

मुख्य आरक्षी (आर्मोरर)

लिखित परीक्षा	शारीरिक क्षमता परीक्षा	तकनीकी योग्यता	कुल
75	10	15	100

मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) के चयन हेतु प्रक्रिया चार चरणों में निम्नानुसार आयोजित की जावेगी:-

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंको का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) के 75 प्रश्न होंगे तथा लिखित परीक्षा की समयावधि 02 घण्टे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन तथा ऑ.एम. आर.आधारित (Offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंको का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी :-

लिखित परीक्षा का सिलेबस	कुल प्रश्न	प्राप्तांक
अ - विवेचना एवम् तार्किक योग्यता	30	30
ब - सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् समसामयिक विषयों पर	15	15
स - राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	30	30
योग	75	75

- (a) इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत अंक, समग्र रूप में प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (b) ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थी एवं बॉरा जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum) सीमा लागू नहीं होगी।
- (c) भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5 (18) डीओपी/ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-9 में वर्णित नियम-18 ए (i) के अनुसार देय होगा।
- (d) लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न-पत्र सम्बन्धी आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।
- (e) लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पांच गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाइट <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर देखी जा सकेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

द्वितीय चरण : शारीरिक मापदण्ड एवम् शारीरिक क्षमता परीक्षा

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के तहत महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा, गृह रक्षा, द्वारा आवश्यकतानुसार बोर्ड का गठन किया जाकर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) एवम् शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) हेतु उपस्थित होना होगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में सम्मिलित किया जायेगा।



(अ) शारीरिक क्षमता परीक्षा (PHYSICAL EFFICIENCY TEST) :-

भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) लेगा। अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे। PET टेस्ट में भाग लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना हेतु प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में अयोग्य अभ्यर्थी असफल माना जावेगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में दौड़ हेतु मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा तथा इसके विरुद्ध कोई याचिका (APPEAL) दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। मुख्य आरक्षी (आर्मीरर) पद हेतु 05 किलो मीटर दौड़ का आयोजन किया जावेगा, जिसके अंक निम्नानुसार होंगे :-

अधिकतम 10 अंक

आयु सीमा	दौड़	समय	प्राप्तांक
30 वर्ष से कम	5 किमी	26 मिनट तक	10
		26 मिनट से अधिक एवं 27.5 मिनट तक	07
		27.5 मिनट से अधिक एवं 29 मिनट तक	05
30 से 40 वर्ष	5 किमी	28 मिनट तक	10
		28 मिनट से अधिक एवं 29.5 मिनट तक	07
		29.5 मिनट से अधिक एवं 31 मिनट तक	05

- (i) आवेदकों को PET में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) भर्ती बोर्ड द्वारा दौड़ आयोजित करने से पूर्व, मैदान की स्थिति का उचित निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगा। मैदान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PHYSICAL STANDARD TEST) :-

- (a) भर्ती बोर्ड शारीरिक क्षमता परीक्षा (PET) में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) लेगा। शारीरिक मापदण्ड परीक्षण (PST) उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या-4 के अनुसार किया जायेगा। पुरुष अभ्यर्थियों को ऊँचाई व सीने के माप तथा महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई व वजन के माप हेतु बुलाया जावेगा।
- (b) भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक मापदण्ड के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके मापदण्ड से अवगत करा कर उनके हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थी यदि हस्ताक्षर करने से मना करता है तो बोर्ड सदस्य इस बाबत अपनी टिप्पणी अंकित करेगा। चयन बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी PST में छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, उसे भी पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।



- (c) निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
- (d) शारीरिक मापदण्ड (PST) में अपील का प्रावधान :-
- (i) शारीरिक मापदण्ड (PST) में असफल अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा अपील करने का एक अवसर प्रदान किया जावेगा। शारीरिक मापदण्ड में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है, जिसकी प्राप्ति रसीद सम्बन्धित को दी जावेगी। अभ्यर्थी यदि अपील शारीरिक मापदण्ड में सफल होता है तो उससे लिया गया शुल्क वापिस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
 - (ii) उपरोक्त अपील की क्रियान्वति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवम् चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे।
 - (iii) स्थानीय चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवम् एक हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापदण्ड करवाई जाएगी तथा यह मापदण्ड ही अन्तिम मानी जायेगी।
 - (iv) बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा, जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात् हुई मापदण्ड पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे।
 - (v) शारीरिक मापदण्ड के बाद प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी, जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass With Relaxation) एवम् बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass Without Relaxation) अंकित होगा।

नोट : शारीरिक मापदण्ड परीक्षण की अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।



तृतीय चरण : तकनिकी योग्यता परीक्षा

- (अ) शारीरिक मापदण्ड एवम् शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) पद के अभ्यर्थियों हेतु तकनिकी योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। उक्त योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ब) तकनिकी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे।
- (स) मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) के अभ्यर्थी की हथियारों से सम्बन्धित तकनिकी जानकारी, रख-रखाव सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) की दक्षता परीक्षा में निर्धारित उपरोक्तानुसार प्राप्तांक अर्जित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेंगे तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (द) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा। दक्षता परीक्षा 15 अंकों की होगी जिसमें उत्तीर्णांक 40% (6 अंक) होंगे। दक्षता परीक्षा में निम्न विषयों में अभ्यर्थी का प्रायोगिक ज्ञान आंका जावेगा :-

विषय	आवंटित अंक
1. स्क्वाड ड्रिल (राईफल के बिना) (निजी सम्पादन एवं अनुदेशन योग्यता)	05
2. हथियारों की मरम्मत, गोजिंग टेस्ट/एडजस्टमेंट एवम् पार्ट लगाना।	10

- (i) हर तरह की राईफल
- (ii) बेनेट एवं स्केबर्ड
- (iii) एल.एम.जी.
- (iv) लकड़ी का काम
- (v) फाईलिंग एवं लोहे का काम
- (vi) रिपेयर में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के नाम
- (vii) जिरोयींग एवं एक्यूरेसी टेस्ट (समस्त हथियार के)
- (viii) यूनिट आर्मोरर के टूल्स एवं गेजेज के नाम एवं उनका इस्तेमाल।
- (ix) प्रिजरवेशन/रिब्राउनिंग
- (x) ग्रीसींग

चतुर्थ चरण : संयुक्त चयन सूची

(a) अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक क्षमता परीक्षा, तकनिकी योग्यता परीक्षा, विशेष योग्यता) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7 (1) डीओपी/ए-2/99 दिनांक: 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा।

(b) वरियता सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांकों के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रकार प्राप्तांक एवं आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता के अंको के आधार पर वरीयता दी जायेगी यदि तत्पश्चात् भी प्राप्तांक समान होते हैं तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंकित किये जायेंगे।

(c) चयन प्रक्रिया के विशेष बिन्दु :-

(i) भर्ती बोर्ड का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा शारीरिक मापदण्ड में छूट प्राप्त की गई है तथा वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की गई है, इनको पृथक करेंगे साथ ही उन्हें शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में दी जा रही छूट के बारे में अवगत कराकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड में छूट दी गई है उन्हें चयन सूची में तभी सम्मिलित किया जायेगा जब उस वर्ग के अन्य अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की छूट नहीं ली गई, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे।

(ii) जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड में छूट दी गई है उन्हें चयन सूची के वरियता क्रम में बिना छूट वाले अभ्यर्थियों के नीचे दर्शाया जावेगा।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस वर्ष की रिक्तियों को सामान्य वर्ग से पूर्ति की जावेगी।

(iv) सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त चयन सूची राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 29 के तहत महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा, गृह रक्षा, के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेगी। महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा, गृह रक्षा, के अनुमोदन पश्चात् इस चयन सूची को जारी कर निदेशालय एवं सम्बन्धित ईकाईयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(v) भर्ती उपरान्त यदि कोई सफल अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से अयोग्य घोषित होता है या निर्धारित अवधि में उपस्थिति (Joining) नहीं देता है तो संयुक्त सूची की मेरिट अनुसार अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। समस्त रिक्त पदों की पूर्ति उपरान्त यह संयुक्त सूची स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

9. स्वास्थ्य परीक्षण :-

- (a) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संयुक्त चयन सूची की घोषणा (Declaration) के तुरन्त बाद समस्त सफल अभ्यर्थियों द्वारा राजकीय चिकित्सकीय समिति से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्साधिकारी के माध्यम से मेडिकल बोर्ड का गठन किया जायेगा, जो कि Annex.-D के अनुसार अपनी मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (b) चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में अनफिट किये गये अभ्यर्थियों की श्रेणी निम्नानुसार होगी :-
- (i) स्थाई रूप से अयोग्य (Permenant unfit) : जिन अभ्यर्थियों को स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा वे भविष्य में पुनः इस प्रकार की भर्ती में भाग लेने के लिये भी वंचित किये जायेंगे।
- (ii) अस्थायी रूप से अयोग्य (Temporary unfit) : इन अभ्यर्थियों को दी गई अस्थायी अयोग्यता को दूर करने के लिये 6 माह का समय दिया जायेगा। इन्हें 6 माह पूरे होने से पूर्व अपने योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में मेडिकली फिट पाये जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (c) वे अभ्यर्थी जो स्वास्थ्य परीक्षण के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करते तथा निर्धारित समयावधि में पुनः परीक्षण में भी मेडिकली फिट नहीं पाए जाते तो नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी।

10. दस्तावेजों की जांच :

- (a) अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज जैसे : मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/सैकेण्डरी प्रमाण पत्र), जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति (DRIVING LICENCE), तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (शादी शुदा अभ्यर्थियों के लिए) एवम् अन्य विशेष योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावेंगे तथा इनका सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को उनके मूल दस्तावेज लौटा कर उनकी छाया प्रति बोर्ड प्रोसिडिंग्स के साथ संलग्न कर दी जायेगी।
- (b) वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीने तथा ऊँचाई में छूट प्रदान की गई है उसका विवरण स्पष्ट रूप से उनके सेवा रिकार्ड में उल्लेखित किया जावेगा।

11. चरित्र सत्यापन :-

चरित्र सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न आर.पी. फार्म नम्बर-4 भरना अनिवार्य होगा।



- (a) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न R.P. Form No. 04 (Verification Roll) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को सह सलाह दी जाती है कि वह प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता को पूर्ण महत्व दें अन्यथा असत्य पाये गये तथ्यों के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
- (b) अपूर्ण तथा छलपूर्वक दिये गये चरित्र प्रमाण पत्रों को निर्णयार्थ गृह रक्षा, निदेशालय को जाँच हेतु भिजवाया जावेगा। चरित्र प्रमाण पत्र के समय प्रचलित मानदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
- (c) सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

12. नियुक्ति :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 32 के प्रावधानानुसार संयुक्त वरियता सूची में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से वरियतानुसार स्वास्थ्य जाँच, दस्तावेज जाँच व चरित्र सत्यापन सही पाये गये अभ्यर्थियों में वर्गवार योग्यता व रोस्टर अनुसार परिविक्षाधीन के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

13. नियुक्ति हेतु अयोग्यता :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 19, 21, 22 एवं 31 के उल्लंघन पर किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

14. पक्षपुष्टि के लिए उपार्थना (Canvassing) :

किसी भी प्रकार की मौखिक अथवा लिखित संस्तुति पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की संस्तुती कस्वाये जाने पर वह अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(यू. आर. साहू),
महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।